रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक / कु.स. / 2021 / 272.

जबलपुर, दिनांकः 22/03/2021

अधिसूचना

म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जारी आदेश क्रमांक एफ 35–09 / 2020 / दो / सी–2, भोपाल दिनांक 19.03.2021 के परिपालन में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों में शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। विश्वविद्यालय की पूर्व निर्धारित समस्त प्रकार की परीक्षायें / प्रतियोगी परीक्षायें यथावत आयोजित होंगी।

शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ.क्र / कु.स. / 2021 / 272 'अ'

जबलपुर, दिनांकः 22/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी आचार्यगण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यगणों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जिले के महाविद्यालयों को उक्त अधिसूचना से अवगत करावें।
3. कलेक्टर, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, रा.दु.वि.वि., जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें
5. मीडिया प्रभारी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
6. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (स्थापना)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2021
प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
म.प्र.

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ– गृह विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13 मार्च, 2021 एवं 16 मार्च, 2021

उपरोक्त संदर्भित निर्देश दिनांक 13 मार्च, 2021 एवं 16 मार्च, 2021 को यथावत प्रभावशील रखते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत् दिनों में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1 **भोपाल, इन्दौर और जबलपुर** शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन होगा । इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा /प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी ।

2 **भोपाल, इन्दौर और जबलपुर** शहर में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा । समस्त प्रकार की परीक्षाएँ जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी । परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा ।

3 भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों के साथ ही उज्जैन, रतलाम, छिंदवाडा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगौन शहरों में भी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे । केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(डॉ. राजेश राजौरा) 19.3.21
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2. भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2021
प्रतिलिपि–

1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृह मंत्रीजी ।
3 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय ।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव– कृपया अपने विभाग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
5 पुलिस महानिदेशक, म.प्र. ।
6 समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
7 समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.
8 समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग